अनुमोदन हेतु प्रारूप

**बिहार सरकार,**
**ग्रामीण विकास विभाग।**

पत्र संख्या– 50 /पटना, दिनांक 2/1/08
संं0सं0– 1 स्था0 (रा0प0 / सूचना)–08 / 2007 (खण्ड–39)

सेवामें,

सभी उप विकास आयुक्त।

विषयः– सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने वाले आवेदकों को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–107 में फंसाने अथवा भय दिखाने इत्यादि के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के ज्ञापांक–12433 दिनांक 19–12–07 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि सरकार को यह सूचना मिल रही है कि जब सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सूचना मांगने के लिए जिला कार्यालय में अथवा प्रखण्ड में लोग जाते हैं तो उन्हें उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पूरी सूचनांये उपवलब्ध नहीं करायी जाती है बल्कि उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है।

अतएव निदेश दिया जाता है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्र के आलोक में अपने स्तर से अपने अधीनस्थ कार्यालयों के लोक सूचना पदाधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निदेश देने का कष्ट किया जाय कि सुलभता से सूचना उपलब्ध कराया जाय।

अनु : – यथोक्त ।

विश्वासभाजन,
अ0 1/1/08
प्रधान सचिव।

ज्ञापांक– 50 /पटना, दिनांक 2/1/08

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार, पटना को उनके ज्ञाप सं0–12433 दिनांक 19–12–07 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अ0 1/1/08

प्रधान सचिव।